7/4/09

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001
फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 1833 XXV–12/2015 देहरादूनः दिनांक 07 अप्रैल, 2019.

सेवा में,

श्री जितेन्द्र सिंह, C/O श्री लेखराज सिंह,
एस 142 फेस 4 शिवालिक नगर
भेल रानीपुर हरिद्वार, 249403

विषयः– **सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील पर सुनवाई के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आपके अपीलीय पत्र दिनांक 31–03–2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें। कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी के पत्र संख्या–1419 दिनांक 26 मार्च, 2018 द्वारा 04 बिन्दुओं पर उपलब्ध करायी गयी सूचना से सन्तुष्ट न होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उक्त अपील पर सुनवाई हेतु **दिनांक 18 अप्रैल ,2019** की तिथि निर्धारित की गयी है।

अतः उक्त निर्धारित तिथि को समय 11.00 बजे पूर्वान्हः अपील पर सुनवाई हेतु सचिवालय परिसर योजना भवन, प्रथम तल स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने का कष्ट करें। यदि आप सहमत हो तो उक्त नियत तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

भवदीय,

(मस्तूदास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

पृ0 संख्या– 1833/XXV–12/2015 , तद्दिनांकित

प्रतिलिपि अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह निर्धारित तिथि व समय पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(मस्तूदास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

rti 2017

प्रकरण - 6/5/19

सेवा में,
अपीलीय अधिकारी / सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड
सचिवालय परिसर देहरादून

विषय- सूचना हेतु प्रथम अपील

महोदय,
प्रार्थी ने आपके कार्यालय से दिनांक 18/3/19 मे ④ बिन्दुओं की सूचना माँगी थी। किन्तु बिन्दु ③ व ④ की सूचना नही दी गयी है। तथा बिन्दु ① व ② की जो सूचना दी है वह भी अनुरोध पत्र के अनुसार नही है। कृपया अपीलीय अवधि में सही व स्पष्ट प्रमाणिक सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सूचना न मिलने पर प्रार्थी द्वितीय अपील माननीय उत्तराखण्ड सूचना आयोग में करेगा।

[जनपद हरिद्वार में श्री ब्रह्मपाल सिंह DEO (Basic) हरिद्वार के पद पर कार्यरत है। यह हरिद्वार के मूल निवासी है। वर्तमान मे आदर्श आचार संहिता लागू है। श्री ब्रह्मपाल सिंह प्रशिक्षण मे नोडल अधिकारी है तथा शिक्षा विभाग से लगभग 3000 शिक्षक चुनाव मे प्रतिभाग कर रहे है। यह अधिकारी B.J.P की पृष्ठभूमि से है। 2018 मे निकाय चुनाव में भी यह अधिकारी हरिद्वार में कार्यरत रहकर B.J.P के लिए कार्य किया। जिसके प्रमाण आर्थिक कार्यालय, एवं समस्त अन्य अधिकारियों को प्रेषित किये है। उत्तराखण्ड स्थानान्तरण Act 2018 व चुनाव की आचार संहिता में Class-1 व Class-2 अधिकारी को चुनाव मे गृह जनपद मे कार्य करते हैं आचार संहिता का उल्लंघन है, किन्तु आज काफी 10 दिनो मे इस अधिकारी के विरुद्ध शिकायत के तथ्य साक्ष्य RTI मे मौजूद है। एवं चुनाव को प्रभावित करने के सम्बन्ध मे PIL माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल मे योजित की जा रही है]

आपसे निवेदन है कि आप प्रार्थी के मूल अनुरोध पत्र के अनुसार सूचना दिलाने की महान कृपा कीजिएगा। प्रार्थी आपका आभारी रहेगा।

दिनांक - 31/3/19

संलग्नक - ① मांगी गयी सूचना की प्रति (1 पेज)
② आयोग द्वारा प्रेषित सूचना की प्रति (2 पेज)
कुल - 3 पेज।

अपीलकर्ता का नाम पता
Jitendra Singh
31/3/19
जितेन्द्र सिंह s/o श्री लेखराज सिंह
एल- 142 फेज 4 शिवालिक नगर
भेल रानीपुर हरिद्वार (249403)
9758104509

सेवा में, लोक सूचना अधिकारी / मुख्य निर्वाचन अधिकारी
कार्यालय - मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड

विषय - RTI में सूचना विषयक

प्रार्थी आपके कार्यालय से RTI में सूचना मांग रहा है। शुल्क के रूप में 10 रुपये का मूल पोस्टल आर्डर No - 46F317332 प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। मांगी जा रही सूचना का बिन्दुवार विवरण -

1 - प्रार्थी के दिनांक 17-2-2019 के शिकायती पत्र पर आपके कार्यालय को जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार से प्राप्त जाँच आख्या / जाँच रिपोर्ट की सत्यापित छाया प्रति देने का कष्ट कीजिएगा।

2. प्रार्थी के दिनांक 01-3-2019 के शिकायती पत्र पर आपके कार्यालय को जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार से प्राप्त जाँच आख्या / जाँच रिपोर्ट की सत्यापित छायाप्रति देने का कष्ट कीजिएगा।

3. भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली की गाइड लाइन के अनुसार राजपत्रित पद पर तैनात अधिकारी अपने गृह जनपद में तैनात नियमानुसार रह सकता है। कृपया उक्त गाइड लाइन की सत्यापित छायाप्रति देने का कष्ट कीजिएगा।

4. श्री ब्रह्मपाल सिंह जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) हरिद्वार के पद पर तैनात है तथा गृह जनपद हरिद्वार है। भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन / दिशा निर्देश के अनुसार आदर्श आचार संहिता लोक सभा चुनाव 2019 में इनकी तैनाती अपनी गृह जनपद हरिद्वार में नियमानुसार सही है कृपया उस नियम / शासनादेश की सत्यापित छायाप्रति देने का कष्ट करें।

अनुरोधकर्ता / प्रार्थी का नाम पता
Jitendra Singh
18/3/19
जितेन्द्र सिंह S/o
श्री लेखराज सिंह
एस- 142 फेस 4, शिवालिक नगर भेल
रानीपुर हरिद्वार
(249403)
9758104509

दिनांक - 18/3/19 पोस्टल आर्डर No - 46F317332

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER
डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS

PAY TO लोक सूचना अधिकारी / मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड को
दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE
प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिखें दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE
जितेन्द्र सिंह S/o श्री लेखराज सिंह
एस- 142 फेस 4
शिवालिक नगर भेल
रानीपुर हरिद्वार
(249403)

सत्यमेव जयते

RV679794986IN
RL BOOKING COUNTER HARIDWAR RMS <249...
Counter No:1, 19/03/2019, 19:18
To:LOK SUCHNA ADHI, DEHRADUN
PIN:248001, Dehradun GPO
From:JITENDER, SHIVALIK NGAR
Wt:10gms
Amt:25.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 1800 266 6868>

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001
Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 1519 / XXV–12(P-7) / 2008 देहरादूनः दिनांक 26 मार्च, 2019.

सेवा में,

श्री जितेन्द्र सिंह C/O श्री लेखराज सिंह
निवासी– एस 142 फेस 4 शिवालिक नगर, भेल
रानीपुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड 249403

विषयः– <u>सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 18 मार्च, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सन्दर्भित सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त संबंध में चाही गयी वांछित सूचना प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु संख्या– 1 एवं 2	जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 हरिद्वार श्री ब्रहमपाल सिंह के शिकायती पत्र के सबंध में इस कार्यालय के पत्र संख्या–787 / XXV-02 / 2018 दिनांक 02 मार्च, 2019 द्वारा जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित किया गया है। (पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न)
बिन्दु संख्या 03 एवं 04	उक्त सूचना इस कार्यालय में धारित नही है।

<u>संलग्न–यथोपरि 01 पृष्ठ</u>

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

भवदीय,

(डी0पी0 डंगवाल)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

rti 2019

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून–248001
फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 787 /XXV–02/2018 Part-II देहरादूनः दिनांक 02 मार्च, 2019

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तरकाशी/हरिद्वार/नैनीताल।

विषयः– **विभिन्न शिकायती पत्रों का प्रेषण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्याः 2020/रा.नि.आ.–3/2486/20 दिनांक 27 फरवरी, 2019 के साथ संलग्न निम्न विवरणानुसार शिकायती पत्र प्राप्त हुए है, जो आपके जनपदों से संबंधित है।

क्र0 स0	पत्र प्रेषित करने वाले का नाम व पता	संदर्भ/विवरण	जनपद का नाम
1.	श्री जगमोहन सिंह एवं अन्य समस्त क्षेत्रवासी भटवाडी का संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त अनुरोध पत्र दिनांक 15 फरवरी, 2019	उपशिक्षाधिकारी श्रीमती हेमलता गौड़ का स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।	उत्तरकाशी
2.	श्री गणेश प्रसाद काला, निवासी–12, ए कालीदास रोड़, देहरादून का पत्र दिनांक 15 फरवरी, 2019	जिला क्रीडा अधिकारी श्री अखतर अली, हलद्वानी के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।	नैनीताल
3.	श्री राजकुमार उर्फ टीटू पुत्र श्री भुल्लन सिंह, निवासी ग्राम–शेरपुर, पोस्ट–ढंढेड़ी ख्वाजगीपुर, जिला हरिद्वार का पत्र दिनांक–13 फरवरी, 2019	3 वर्षों से एक ही जिले में जमें अफसरों के तबादले के सम्बन्ध में।	हरिद्वार
4.	सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) का पत्र संख्या– प्रबन्ध/निर्वाचन/2018–19, दिनांक 22 फरवरी, 2019	परिषद् कार्यालय में कार्यरत् अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आगामी लोक सभा निर्वाचन–2019 की ड्यूटी से मुक्त रखने के सम्बन्ध में।	नैनीताल
5.	श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा श्री लेखराज सिंह निवासी–एस0 142 फेस 4 शिवालिक नगर, भेल रानीपुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड का पत्र दिनांक 17 फरवरी, 2019	जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 हरिद्वार श्री ब्रहमपाल सिंह का गृह जनपद हरिद्वार से स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में।	हरिद्वार

अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने जनपदों से संदर्भित प्रकरणों पर जाँचोपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,
(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

पृ0 संख्या–787/XXV–02/2018 , Part-II, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि उपरोक्त संबंधितों को सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

प्रमाणित प्रति

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

Compalin